



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 आश्विन 1942 (श0)
(सं0 पटना 640) पटना, वृहस्पतिवार, 24 सितम्बर 2020

विधि विभाग

अधिसूचना

24 सितम्बर 2020

सं0 सी0/ए0एस0-50-57/2014/5413/जे0—“लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012” की धारा-32(1) में निहित प्रावधानानुसार निम्नलिखित 29 जिलों में लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम से संबंधित वादों के संचालनार्थ विशेष लोक अभियोजक के रूप में राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित अधिवक्ताओं को नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

क्र0सं0	जिला का नाम	विशेष लोक अभियोजक का नाम	नियुक्ति आदेश संख्या एवं तिथि
1	2	3	4
1.	औरंगाबाद	श्री शिवलाल मेहता	516/29.01.2017
2.	भोजपुर, आरा	श्रीमती सरोज कुमारी	318/17.01.2017
3.	दरभंगा	श्री डॉ0 जिय कुमार पराजीत	283/16.01.2017
4.	पटना	श्री सुरेश चन्द्र प्रसाद	7639/23.12.2016
5.	भागलपुर	श्री शंकर जयकिशन मंडल	7124/05.12.2016
6.	मुजफ्फरपुर	श्री नरेन्द्र कुमार	7120/05.12.2016
7.	समस्तीपुर	श्री बिनोद कुमार	6930/24.11.2016
8.	शिवहर	श्री राजेश्वर कुमार	4923/12.08.2016
9.	शेखपुरा	श्रीमती नइला बेगम	4827/08.08.2016
10.	बक्सर	श्री सुरेश कुमार सिंह	5684/04.09.2015
11.	सुपौल	श्रीमती निलम कुमारी	4958/06.08.2015

12.	लखीसराय	कुमारी बबीता	4544/20.07.2015
13.	वैशाली, हाजीपुर	श्री मनोज कुमार शर्मा	4552/20.07.2015
14.	कैमूर, भभुआ	श्री प्रसिद्ध सिंह	4542/20.07.2015
15.	अररिया	श्री श्याम लाल यादव	4548/20.07.2015
16.	खगड़िया	श्री राजीव कुमार रमण	4554/20.07.2015
17.	बेगूसराय	सुश्री कुमारी मनीषा	4553/20.07.2015
18.	मधेपुरा	श्री विजय कुमार मेहता	4543/20.07.2015
19.	रोहतास, सासाराम	सुश्री हसीना कमर	4547/20.07.2015
20.	सिवान	श्री नरेश कुमार सिंह	1839/01.03.2019
21.	प0 चम्पारण, बेतिया	श्री वेद प्रकाश द्विवेदी	4549/20.07.2015
22.	जमुई	श्री मनोज कुमार शर्मा	1175/12.02.2019
23.	जहानाबाद	श्री मुकेश नन्दन वर्मा	212/10.01.2019
24.	नालन्दा	श्री जगत नारायण सिन्हा	4541/20.07.2015
25.	पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	श्री मणि कुमार	4545/20.07.2015
26.	सीतामढ़ी	श्री जुनैद आरमिल	190/09.01.2015
27.	गया	श्री एस0 कैसर शैफुद्दीन	1488/26.02.2014
28.	गोपालगंज	श्री दरोगा सिंह	1485/26.02.2014
29.	मधुबनी	श्री शशि भूषण यादव	1854/01.03.2019

2. इन विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति संबंधित नियुक्ति आदेश, निर्गत की तिथि से ही (भूतलक्षी प्रभाव से) प्रभावी रहेगी।

3. विधि विभागीय निर्गत पत्र में वर्णित सभी शर्तें यथावत प्रभावी रहेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
पी0 सी0 चौधरी,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 640-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>